


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

रोख क्रम	मुकदमा सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------	------------------------------------	--

विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प-51/ 2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावे। उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 24.10.2024 को पेश हो।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

24/10 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/24 को पेश हो 4

21/11 पत्रवली पेश हुई। वकूलाय उप. P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/25 को पेश हो 11

8/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/2/25 को पेश हो 18

21/05/25

वकील वादी द्वारा आव विद्वा कले हेतु प्र. फा मिल तलसी पेश कले पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकील वादीगण ने प्र. फा पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली के मध्य लपनीना हो गया है जिस कारण उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख  
हुक्म

मुकदमा सं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व म  
जो हु  
तामील

को आगे नहीं चलना चाहते हैं। अतः  
वादपत्र पुनः पेश करने की अनुमति के  
साथ वादपत्र विज्ञापन की रूपा करें।  
वकील वादीगण का उपपत्र दस्तखत बाद वादी  
विज्ञापन जाने न्यायद्वारा नै. हकीकात किफा  
जाकर वादीगण को पुनः वादपत्र पेश करने  
की अनुमति प्रदान करने हुए कार्रवाई उपर  
हमी हत पर उच्च किया जाता है। पत्रावली  
के मत शुद्ध होकर नबल से काम हो तब  
बाद तत्काल दायित्व फल है। निर्णय से  
ईजलास सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

- किशोर सिंह

Folms

21.5.24